# पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922

**(1922 का अधिनियम संख्यांक 22)**[1]

**[5 अक्तूबर, 1922]**

**पुलिस में द्रोह फैलाने तथा सदृश अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था के लिए अधिनियम**

पुलिस में द्रोह फैलाने तथा अन्य सदृश अपराधों के लिए दण्ड देना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 है ।

[2][(2) इसका विस्तार [3][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय, [3][जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] सम्पूर्ण भारत पर है ।]

(3) यह किसी राज्य में या किसी राज्य के भाग में उस तारीख[4] को प्रवृत्त होगा, जिसका राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे ।

**2. परिभाषा**—इस अधिनियम में "पुलिस-बल का सदस्य" पद से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन पुलिस के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त या भर्ती किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

**3. द्रोह आदि उत्पन्न करने के लिए शास्ति**—जो कोई [5][भारत] में विधि द्वारा स्थापित [6]*** सरकार के प्रति पुलिस-बल के सदस्यों में साशय द्रोह उत्पन्न करेगा या द्रोह उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा या पुलिस बल के किसी सदस्य को सेवाओं से विरत रहने के लिए अथवा अनुशासन भंग करने के लिए उत्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसका उत्प्रेरित होना संभाव्य है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित होगा ।

**स्पष्टीकरण**—सरकार के अध्युपायों का विधिपूर्ण साधनों से परिवर्तन कराने के उद्देश्य से अननुमोदनपूर्ण अभिव्यक्तियां या सरकार के प्रशासनिक या अन्य कार्यों की अननुमोदनपूर्ण अभिव्यक्तियां, इस धारा के अधीन अपराध नहीं होंगी यदि वे द्रोह उत्पन्न नहीं करती हैं; या द्रोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं की गई हैं, या उनसे द्रोह उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है ।

**4. कतिपय प्रयोजनों के लिए पुलिस संगमों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की व्यावृत्ति**—निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक की गई कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन अपराध नहीं समझी जाएगी, अर्थात् :—

(क) पुलिस-बल के किसी सदस्य के कल्याण के लिए अथवा हित में विधि द्वारा प्राधिकृत किसी रीति से उसे सेवाओं से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करना; या

(ख) पुलिस-बल के सदस्यों के हितों के उन्नयन के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी ऐसे संगम द्वारा जो सरकार द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त है, या उसकी ओर से कोई कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों या संगम अनुच्छेदों के अधीन किया गया है ।

---

[1] यह अधिनियम 1961 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 40 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में; 1962 के विनियम सं० 123 की धारा और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर; दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना सं० एफ० 5(66)/66-गृह (पी); दिनांक 30-1-1967 द्वारा (30-1-1967 से) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में; 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) सम्पूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में; और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में लागू होने के लिए विस्तारित किया गया ।

1969 के मुम्बई अधिनियम सं० 56 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) यह अधिनियम महाराष्ट्र में लागू होने के लिए संशोधित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] यह अधिनियम, 25 जनवरी, 1923 से आसाम में प्रवृत्त हुआ, देखिए आसाम का राजपत्र (अंग्रेजी) 1923, भाग 2, पृष्ठ 113; 13 मार्च, 1930 से पंजाब में प्रवृत्त हुआ, देखिए पंजाब का राजपत्र (अंग्रेजी), 1930, भाग 1, पृष्ठ 342; 15 मई, 1930 से बंगाल और उड़ीसा में (जिसमें संथाल परगना सम्मिलित है) प्रवृत्त हुआ, देखिए बंगाल और उड़ीसा का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, तारीख 13 मई, 1930; और 5 जून, 1930 से, मुम्बई प्रेसिडेन्सी में प्रवृत्त हुआ, देखिए मुम्बई का राजपत्र (अंग्रेजी), 1930, भाग 1, पृष्ठ 1394 । इस अधिनियम को खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम सं० 4) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का विनियम सं० 5) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में, प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया है ।

1954 के अधिनियम सं० 20 की अनुसूची 2 द्वारा पश्चिमी खानदेश जिले के शाहड़ा, नदुरबार और तालोडा तालुकों पर, मुम्बई राज्य के पंचमहाल जिले के दोहद तालुक और जालोद महाल पर, इस अधिनियम का विस्तार किया गया है ।

[5] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश बर्मा" के स्थान पर प्रतिस्थापित । भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या ब्रिटिश बर्मा" शब्द अंत:स्थापित किए गए थे ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजस्टी या" शब्दों का लोप किया गया ।

**5. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपराधों के विचारण की मंजूरी**—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी या शिकायत पर या प्रेसिडेन्सी नगर [1]*** के मामले में पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवाय अग्रसर नहीं होगा ।

**6. मामलों का विचारण**—(1) प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अन्यून पंक्ति का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)[2] के अध्याय 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन का कोई भी अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय नहीं होगा ।

## अनुसूची

**(धारा 2 देखिए)**

| वर्ष | संख्यांक | संक्षिप्त नाम |
|---|---|---|
| | **सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम** | |
| 1859 | 24 | मद्रास जिला पुलिस अधिनियम, 1859 |
| 1861 | 5 | पुलिस अधिनियम, 1861 |
| [3]* | * | * * * * * |
| 1888 | 3 | पुलिस अधिनियम, 1888 |
| 1892 | 5 | बंगाल सेना पुलिस अधिनियम, 1892 |
| | **मद्रास अधिनियम** | |
| 1888 | 3 | मद्रास शहर पुलिस अधिनियम, 1888 |
| | **मुम्बई अधिनियम** | |
| 1890 | 4 | मुम्बई जिला पुलिस अधिनियम, 1890 |
| 1902 | 4 | मुम्बई शहर पुलिस अधिनियम, 1902 |
| | **बंगाल अधिनियम** | |
| 1866 | 2 | कलकत्ता उपनगर पुलिस अधिनियम, 1866 |
| 1866 | 4 | कलकत्ता पुलिस अधिनियम, 1866 |
| 1890 | 3 | कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 |
| 1920 | 2 | पूर्वी सीमान्त राइफल (बंगाल बटालियन) अधिनियम, 1920 |
| [4]* | * | * * * * * |
| | **आसाम अधिनियम** | |
| 1920 | 1 | आसाम राइफल्स अधिनियम, 1920 |
| | **सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा विनियम** | |
| 1888 | 2 | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह सेना पुलिस विनियम, 1888 |

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या रंगून नगर" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] अब देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 21 ।

[3] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा बर्मा सेना पुलिस अधिनियम, 1887 (1887 का 15) से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया गया ।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा रंगून पुलिस अधिनियम, 1899 (1899 का बर्मा अधिनियम 4) से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया गया ।